UPSB040150062021

न्यायालय Chief Judicial Magistrate, Sonbhadra

पीठासीन अधिकारी- (Suraj Mishra)**, (उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP01931**

मु0न0–8677 / 2021

राज्य बनाम् प्रवीण कुमार त्रिपाठी

धारा–3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम
थाना–करमा, सोनभद्र

20.09.2022

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को उन्मोचन प्रार्थना पत्र एवं आपत्ति पर सुना जा चुका है।

आवेदक / अभियुक्त प्रवीण कुमार त्रिपाठी की ओर से उपरोक्त उन्मोचन प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा–482 सं0–2862 / 2022 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में प्रस्तुत किया गया है।

उन्मोचन प्रार्थना पत्र में आधार यह दिया गया है कि उसने कोई अपराध नही किया है उसके विरूद्ध जिला कृषि अधिकारी, श्री पीयूष राय द्वारा थाना करमा में मुकदमा अपराध सं0–81 / 2020 इस आशय का दर्ज कराया गया है कि केकराही किसान सेवा सहकारी समिति करमा के विक्रेता / एकाउन्टेन्ट श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी द्वारा कृषक श्री कैलाश, ग्राम खैराही को पस मशीन के माध्यम से दिनांक 22.05.2020 को 60 बोरी यूरिया एवं दिनांक 08.06.2020 को 50 बोरी यूरिया कुल 110 बोरी यूरिया विक्रय की गयी। किन्तु कैलाश द्वारा बताया गया कि उन्होने केवल 86 बोरी यूरिया ही खरीदा था। इसी प्रकार कृषक अभिमन्यु ग्राम केकराही को पस मशीन के माध्यम से दिनांक 21.05.2020 को 50 बोरी यूरिया विक्रय किया गया किन्तु अभिमन्यु ने बताया कि उन्होने केवल 20 बोरी यूरिया ही खरीदा था। समिति के विक्रय रजिस्टर में पृष्ठ सं 1 के क्रम सं0 11 पर कैलाश को दिनांक 21.05.2020 को 40 बोरी यूरिया और अन्य उत्पाद का वितरण किया गया है। पुनः दिनांक 09.06.2020 को समिति के वितरण रजिस्टर के पृष्ठ सं0 12 व 13 के क्रम सं0 73 पर कैलाश को 30 बोरी यूरिया और अन्य उत्पाद का वितरण किया गया। समिति के वितरण रजिस्टर में उर्वरक वितरण की तिथि 21.05.2020 को अभिमन्यु का नाम दर्ज नही है। इस प्रकार दो कृषकों के नाम से कुल 160 बोरी यूरिया समिति के पस मशीन से खारिज की गयी, किन्तु कृषकों को कुल 86 बोरी यूरिया ही प्राप्त हुई। इस आधार पर यह कहा गया कि अभियुक्त द्वारा 74 बोरी यूरिया कृषकों के नाम से खारिज किया गया किन्तु स्टाक के अनुसार किसी अन्य को वितरित कर दिया गया। उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पर विवेचक द्वारा सही विवेचना नही की गयी और न तो अभियुक्त के स्टाक रजिस्टर एवं कृषकों के शपथ पत्र का अवलोकन किया गया न ही विवेचना में इसे सम्मिल्लित किया गया। जिस समय कृषकों को खाद का वितरण किया गया उस समय कोरोना महामारी के कारण सभी कृषक समिति पर नही आ रहे थे और घटना दिनांक को कैलाश

समिति पर आये और अपने चेक सं0–122325 के माध्यम से 40 बोरी यूरिया क्रय किये उसी दिन कृषक रामकवल भी खाद लेने आये जिन्होने चेक सं0–241770 के माध्यम से 20 बोरी यूरिया क्रय किया। पुनः दिनांक 09.06.2020 को कैलाश को 30 बोरी यूरिया चेक सं0–122326 के माध्यम से दिया गया और उसी दिन लक्ष्मन कुमार को 20 बोरी यूरिया चेक सं0–010068 के माध्यम से दिया गया संयोगवश रामकवल व लक्ष्मन का अंगूठा निशान पस मशीन पर नही आ सका। परिणामस्वरूप उक्त लोगों के कहने पर कैलाश से ही पस मशीन पर अंगूठा लगवा लिया गया। इसी प्रकार दिनांक 21.05.2020 को प्रसंग पुत्र बैजानाथ ने चेक सं0–045913 के माध्यम से 42 बोरी यूरिया एवं सत्यनारायण को 12 बोरी यूरिया चेक सं0–27501 के माध्यम से विक्रय किया गया। उक्त दोनो लोग अपने ड्राइवर अभिमन्यु को भेज कर खाद प्राप्त किये, जिस पर अभियुक्त ने उसका भी अंगूठा निशानी पस मशीन पर लगवा लिया। अभियुक्त के पास से जो खाद बेची गयी और स्टाक रजिस्टर में वर्णित है और जिन किसानों को यूरिया का वितरण किया गया उनका नाम वितरण रजिस्टर पर चेक संख्या सहित अंकित है। कोरोना महामारी के कारण उ0प्र0 सरकार ने यह आदेशित किया था कि पस मशीन पर अंगूठा निशान न लगवाया जाय क्योंकि इससे महामारी फैलने की सम्भावना थी। कृषि निदेशालय उ0प्र0 उर्वरक अनुभाग कृषि भवन के पत्र सं 11 टी.ए.एफ. 2020–21 दिनांकित 28.04.2020 के द्वारा समस्त कृषि अधिकारी उ0प्र0 को आदेश निर्गत किया गया कि अपर सचिव रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र सं0–डी.ओ.15011/02/2020 डी.बी.टी. दिनांक 27.04.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसकी प्रति संलग्न है। उपरोक्त के क्रम में निर्गत निर्देशों का अनुपालन करते हुए यूरिया वितरण किया गया है क्योंकि उस समय पस मशीन पर अंगूठा लगवाना नही था। इन तथ्यों को अनदेखा करते हुए विवेचक ने आरोप पत्र प्रेषित कर दिया है। इस सम्बन्ध में विवेचक को उक्त शासनादेश दिया भी गया था किन्तु उन्होने इसे अनदेखा कर दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट को वापस लेने हेतु अभियुक्त के प्रान्तीय अध्यक्ष व महामंत्री उ0प्र0 संयुक्त सहकारी समिति दिनांक 18.03.2020 को आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ0प्र0 लखनउ को देकर घटना से अवगत करया गया जिस पर उनके द्वारा दिनांक 17.10.2020 को समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0 को अपने पत्र सं0–335 द्वारा यह निर्देशित किया गया कि कोरोना महामारी के चलते किसानों के द्वारा पस मशीन में अगूठा न लगाये जाने के कारण सचिव/कर्मचारी के द्वारा एक या दो आदमी से अंगूठा लगवाकर स्टाक खारिज कर खाद का वितरण किया गया तथा समिति के वितरण रजिस्टर में किसानों का नाम पता व आधार नम्बर दर्ज कर लिया गया। किन्तु पस मशीन मे खारिज मात्रा के आधार पर कालाबाजारी मानते हुए सचिवों एवं कर्मचारियों पर कार्यवाही की जा रही है, जिसके सम्बन्ध में जांच कराकर एफ0आई0आर0 वापस लेने की कार्यवाही की जावे किन्तु विवेचना अधिकारी ने सभी प्रपत्रों को अनदेखा करते हुए आरोप पत्र प्रेषित कर दिया है, जबकि अभियुक्त ने जिन किसानों को चेक के माध्यम से यूरिया का वितरण किया है उनका हवाला वितरण रस्टिर में दर्ज है। उक्त आधार पर निवेदन किया गया है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त को उन्मोचित करने की कृपा की जावे। प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र से समर्थित है।

सुना व पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया। पत्रावली के सम्यक परिशीलन से प्रकट है कि पुलिस थाना करमा में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट

सं0–81/2020 अन्तर्गत धारा–3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में विवेचना उपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्त प्रवीण कुमार त्रिपाठी के विरूद्ध आरोप पत्र समक्ष न्यायालय विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

यह प्रथम सूचना रिपोर्ट जिला कृषि अधिकारी पीयूष राय द्वारा इस आशय का पंजीकृत कराया गया है कि सचिव, भारत सरकार रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अर्द्धशासकीय पत्र सं0–18–08/एफ0एम0 दिनांकित 05.08.2020 द्वारा जनपद के 20 उर्वरक विक्रताओं की सूची इस आशय से प्रेषित की गयी थी कि उनकी जांच कराकर निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, जिसके क्रम में जिलाधिकारी, सोनभद्र ने अपने पत्र सं0–502 दिनांकित 18.08.2020 के द्वारा अपर जिलाधिकरी सोनभद्र को जांच अधिकारी नामित किया था। उक्त जांच में यह पाया गया कि केकराही किसान सेवा समिति करमा के विक्रेता/एकाउन्टेन्ट श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी द्वारा कृषक श्री कैलाश को पॉस मशीन के माध्यम से दिनांक 22.05.2020 को 60 बोरी यूरिया और दिनांक 08.06.2020 को 50 बोरी यूरिया अर्थात कुल 110 बोरी यूरिया विक्रय किया गया। किन्तु कैलाश द्वारा बताया गया कि उन्होने केवल 86 बोरिया यूरिया ही खरीदा है। इसी प्रकार श्री अभिमन्यु को पस मशीन के माध्यम से दिनांक 21.05.2020 को 50 बोरी यूरिया विक्रय किया गया किन्तु उन्हे मात्र 20 बोरी प्राप्त हुआ, जो उन्होने एफ0एस0एस0 केकराही पापी से खरीदी है। समिति के वितरण रजिस्टर में पृष्ठ सं0–1 के क्रम सं0–11 पर श्री कैलाश को दिनांक 21.05.2020 को 40 बोरी यूरिया और अन्य उत्पाद तथा दिनांक 09.06.2020 को वितरण रजिस्टर में पृष्ठ सं0–12 व 13 के क्रम सं0–73 पर कैलाश को 30 बोरी यूरिया और अन्य उत्पाद का वितरण किया गया। समिति के वितरण रजिस्टर में उर्वरक वितरण की तिथि 21.05.2020 को अभिमन्यु का नाम दर्ज नही है। इस प्रकार दो कृषकों के नाम से अभियुक्त प्रवीण कुमार त्रिपाठी द्वारा कुल 160 बोरी यूरिया समिति के पॉस मशीन से खारिज की गयी किन्तु कृषकों को केवल 86 बोरी यूरिया ही प्राप्त हुई। इस प्रकार विक्रेता/एकाउन्टेट अभियुक्त प्रवीण कुमार त्रिपाठी द्वारा 74 बोरी यूरिया कृषकों के नाम से खारिज की गयी, जबकि उक्त स्टाक को किन्ही अन्य को वितरित कर दिया गया और अभियुक्त ने उर्वरक नियन्त्रक उ0प्र0 के निर्देशो का भी उल्लंघन किया है।

पत्रावली पर आरोप पत्र के साथ जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन आरम्भ करने की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में मूल आदेश संलग्न है, जिससे स्पष्ट है कि जिलाधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी है। पत्रावली पर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड मीरजापुर करमा के समिति के स्टाक रजिस्टर की छाया प्रति उपलब्ध है, जिससे प्रथमदृष्टया प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों को बल मिल रहा है कि अभियुक्त द्वारा स्टाक रजिस्टर व पस मशीन में जितनी बोरी यूरिया खारिज की गयी उतना सम्बन्धित कृषक को उपलब्ध नही कराया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध केसडायरी में वादी मुकदमा पीयूष राय, जिला कृषि अधिकारी का बयान अंकित है, जिसमें उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों का समर्थन किया है। पत्रावली पर प्रकरण की जांच करने वाले जांच अधिकारी श्री ओमकार नाथ राय का बयान अंकित है, जिसमें उन्होने अपने जांच के दौरान पाये गये तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख किया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पत्रावली पर कृषक श्री कैलाश और कृषक श्री अभिमन्यु मौर्य का धारा–161

द0प्र0सं0 का बयान केस डायरी में उपलब्ध है, जिसमें उन्होने प्रथम दृष्टया प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों का समर्थन किया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होने केवल 86 बोरी यूरिया ही क्रय किया था अन्य के बारे में उन्हें कोई जानकारी नही है। केस डायरी में पस मशीन के विवरण और स्टाक रजिस्टर के विवरण भी उपलब्ध हैं, जिससे भी प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रथम दृष्टया समर्थन प्राप्त हो रहा है।

आवेदक/अभियुक्त का अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन है कि कोरोना महामारी के समय जारी शासनादेश के अनुपालन में उसने बिना पस मशीन पर अंगूठा निशान लगवाये यूरिया का वितरण किया था और यह भी कहा गया है कि जिस दिन कैलाश को यूरिया का वितरण किया गया उसी दिन दो अन्य कृषक भी आ कर यूरिया क्रय किये थे और उसकी पस मशीन काम न करने के कारण कैलाश से अंगूठा निशान लगवा लिया गया। इस प्रकार स्वयं अभियुक्त के प्रार्थना पत्र में एक ही तथ्य के विषय में दो अलग अलग बातें बतायी जा रही है। इस प्रकार अभियुक्त के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित आधार विश्वसनीय प्रतीत नही हो रहे हैं। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जावे कि अभियुक्त द्वारा कैलाश के ही अंगूठा निशान पस मशीन पर लगवाकर अन्य कृषकों को भी यूरिया का वितरण किया गया तो भी यह तथ्य केवल साक्ष्य के उपरान्त ही साबित हो सकता है, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों मे ऐसा कोई तथ्य प्रकट नही हुआ है। आरोप के स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया साक्ष्य ही विचारण हेतु देखा जाना है और पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध विचारण हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध है। आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जो आधार बताये गये हैं उसे जांच अधिकारी द्वारा की गयी जांच में प्रथम दृष्टया प्रमाणित नही पाया गया है और ऐसी दशा में जब तक न्यायालय के समक्ष दौरान विचारण बचाव पक्ष द्वारा इन तथ्यों को साबित नही कर दिया जाता तब तक केवल प्रार्थना पत्र में तथ्यों को उल्लिखित कर दिये जाने मात्र के आधार पर अभियुक्त को इस स्तर पर कोई लाभ प्राप्त नही हो सकता है। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि कृषक कैलाश, लक्ष्मण, रामकवल, प्रसंग कुमार व सत्यनारायण के शपथ पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है किन्तु पत्रावली पर इनमें से कई साक्षियों के धारा–161 द0प्र0सं0 के बयान अंकित है। ऐसी दशा में यह तथ्य विचारण के उपरान्त ही साबित हो सकता है कि कृषकों के नाम से दिया गया उक्त शपथ पत्र सही है अथवा धारा–161 द0प्र0सं0 के अंकित बयान में उल्लिखित तथ्य सही हैं। ऐसी दशा में प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित करने एवं विचारण किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। तद्नुसार अभियुक्त का उन्मोचन प्रार्थना पत्र बलहीन है एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त प्रवीण कुमार त्रिपाठी का उन्मोचन प्रार्थना पत्र दिनांकित 28.07.2022 निरस्त किया जाता है पत्रावली वास्ते आरोप दिनांक 01.11.2022 को पेश हो।

(सूरज मिश्र)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सोनभद्र
आई.डी.–यू.पी. 01931